

संख्या-2007/81-2-2023-800(117)/2023

पेपक,

नीता चौधरी,

उप सचिव

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 लखनऊ, दिनांक 18 जुलाई 2023

विषय- जनपद हापुड़ में Construction of Mahadev Picnic Spot for Eco-Tourism propose b/w Ch. 88+690 to 88+750 Khasra No. 2531 of NH-09 R.H.S. in Village Gar Banger Tehsil-Garmukteswar District Hapur हेतु 0.048 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग का विना वृक्ष की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव संख्या-एफपी/यूपी/अप्रोच/150358/2021)

महोदय

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-4021/11-सी-एफपी/यूपी/अप्रोच/150358/2021 दिनांक 19.06.2023 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि हैण्डबुक ऑफ फारेस्ट कन्जर्वेशन एक्ट-1980 के चैप्टर-54 के विन्दु सं०-4.7 के अनुसार 0.1 हे० तक की वन भूमि के गैरवानिकी प्रयोग के सामान्य अनुमोदन की स्थिति उन मामलों में ही लागू होती है, जिस वन भूमि पर वन विभाग का स्वामित्व नहीं है। प्रश्नगत मामले में प्रश्नगत संरक्षित वन भूमि (0.084 हे०) पर वन विभाग का स्वामित्व है अथवा नहीं ?

प्रश्नगत प्रस्ताव के जिओ रिफरेंस मैप में महादेव ढावा, अल्लाह वक्सपुर गढमुक्तेश्वर जिला हापुड़ के संपर्क मार्ग के लिए वन भूमि के डाइवरजन का उल्लेख है, जबकि आपके द्वारा प्रेषित प्रस्ताव में विषय निम्नवत अंकित है:- Construction of Mahadev Picnic Spot for Eco-Tourism propose b/w Ch. 88+690 to 88+750 Khasra No. 2531 of NH-09 R.H.S. in Village Gar Banger Tehsil-Garmukteswar District Hapur हेतु 0.048 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी के प्रयोग का विना वृक्ष की अनुमति के संबंध में।

कृपया उक्त के सम्बन्ध में सुसंगत अभिलेखाँ सहित स्थिति स्पष्ट करते हुए आख्या शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि प्रकरण में अग्रतर कार्यवाही की जा सके।

भवदीया,

Signed by नीता चौधरी

Date: 17-07-2023 16:49:03

Reason: Approved

(नीता चौधरी)

उप सचिव।

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक-177 /11सी- FP/UP/Approach/150358/2021 दिनांक, लखनऊ, जुलाई 20, 2023

Scanned with OKEN Scanner

प्रतिलिपि- वन संरक्षक, मेरठ वृत्त, मेरठ को इस आशय से प्रेषित कि प्रस्ताव द्वारा उपरोक्त विन्दुवार वांछित सूचना/अभिलेख ऑनलाईन पोर्टल पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि- प्रभागीय वनाधिकारी, हापुड़ को इस आशय से प्रेषित कि प्रस्ताव द्वारा विन्दुवार वांछित सूचना/अभिलेख ऑनलाईन पोर्टल पर अपलोड करें।

प्रतिलिपि- प्रोपराईटर, महादेव पिकनिक स्पॉट, इको टयूरिज्म परपज, गढ़बांगर, हापुड़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(अनुपम गुप्ता)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,

उ०प्र०, लखनऊ।